न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 516/16
निर्णय दिनांकः 04.05.2018

1. सायरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 पीपली का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. रतनसिंह पुत्र स्व0 भागीरथसिंह
2. प्रहलादसिंह पुत्र स्व0 भागीरथसिंह
3. प्रभूसिंह पुत्र स्व0 भागीरथसिंह
   समस्त जाति राजपूत नि0 पीपली का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर
4. लालसिंह पुत्र स्व0 सवाईसिंह फौत जरिये कायम मुकामान
   - 4/1 जयसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह
   - 4/2 नारायणसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह
   - 4/3 मोहनकंवर पत्नि स्व0 लालसिंह
   - 4/4 सदू कंवर पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नि भगवानसिंह
     समस्त जाति राजपूत नि0 पीपली का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर
   - 4/5 मदनकंवर पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपूत नि0 तिलानेस वाया डेगाना जिला नागौर राज0
5. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 158/1 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 165 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम पीपली का बास प0ह0 नौंरगपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता स्व0 भागीरथसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत का 1/24 हिस्सा था व प्रतिवादी सं0 4 लालसिंह का 1/48 हिस्सा जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज था। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 12.09.07 के जरिये प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता स्व0 भागीरथसिंह व प्रतिवादी सं. 4 को घरेलू कार्यवंश रूपयों की आवश्यकता थी जिसके लिए स्व0 भागीरथसिंह ने उक्त आराजीयात में अपने 1/24 हिस्सें में से आधा भाग यानी कुल भूमि का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 ने अपने 1/48 हिस्सें का 1/2 हिस्सा यानी कुल भूमि का 1/96 वां हिस्सा वादी को जरिये

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.09.07 को बेचान कर उक्त विक्रय पत्र को सब रजिस्टार सांभर के यहा दिनांक 12.09.07 को पंजीबद्व करवाया ओर अपनी प्रतिफल की राशि भी उसी दिन सम्पूर्ण वादी से स्व0 भागीरथसिंह व प्रतिवादी सं0 4 लालसिंह ने नकद प्राप्त कर ली थी तथा बेचे गये अपने हिस्सें पर वादी को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था तब से वादी अपने उक्त क्रय किये गये हिस्सें पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता भागीरथसिंह व प्रतिवादी सं0 4 से उनका हिस्सा खरीद करने के पश्चात् उनके हिस्सें पर काबिज काश्त चला आ रहा है वादी ने उक्त भूमि क्रय करने पश्चात् रजिस्टरी की नकल पटवारी हल्का को नामान्तकरण खोलने के लिए दे दी थी लेकिन उसके पश्चात् भागीरथसिंह की मृत्यु हो गई ओर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने भागीरथसिंह द्वारा बेचे गये हिस्सें का फौती नामान्तकण भी अपने नाम खुलवा लिया जिसकी जानकारी भी वादी को नहीं हो पायी वादी एक सीदा साधा व्यक्ति होने से जमाबन्दी की पूर्व में प्रमाणित नकल नहीं ली थी वादी को यही जानकारी रही कि उसके नाम नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर खुल गया होगा लेकिन वर्तमान में जब वादी ने वादग्रस्त आराजीयात की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 03.11.16 को ली तो जानकारी हुई कि वादी द्वारा क्रय किये गये हिस्सें का उसके नाम नामान्तकरण नहीं खोला गया है ओर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने स्व0 भागीरथ के नाम दर्ज हिस्सें को अपने नाम करवा लिया है तथा प्रतिवादी सं0 4 द्वारा बेचे गये हिस्से का नामान्तकरण भी वादी के नाम नहीं खुला है तब वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को इस सम्बन्ध में कहा ओर वादी के नाम उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्सें की आराजीयात खातेदारी में दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 इंकार हो गये तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 अपने नाम दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादी को धमकी दी कि वे वादी के कोई जमीन नाम नहीं करवायेगे तथा वादी को उसके हक व हिस्सें से बेदखल कर जमीन का बेचान कर देगे इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने स्वंय वादी सायरसिंह, गवाह देवीसिंह, सुरज्ञानसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये तथा वादी व गवाहान के बयान लेखबद्व करवाये गये। वकील वादी ने प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का प्रा0पत्र पेश किया उक्त प्रा0पत्र पेश होने पर संशोधित शीर्षक पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र नोंरगपुरा में पेश हुयी। वादी व प्रतिवादी सं0 3 उपस्थित है प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
सॉंभर लेक

Scanned by CamScanner

सं0 3 ने राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। मजमेंआम में आवाजी दिलवाई गई परन्तु अन्य कोई उपस्थित नहीं हुआ। पक्षकारान ने वादी का वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073, असल रजिस्टरी दिनांक 12.09.07 पेश की है।

वादी व प्रतिवादी सं0 3 ने वाद को राजस्व लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 158/1 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 165 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम पीपली का बास प0ह0 नौंरगपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को 1/48 हिस्सें व प्रतिवादी सं0 4 को 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प नौरंगपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

सायरसिंह बनाम रतनसिंह वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 516/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कालूसिंह व हाजरी ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 158/1 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 165 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम पीपली का बास प0ह0 नौंरगपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को 1/48 हिस्सें व प्रतिवादी सं0 4 को 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत्.....

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner